मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 29, 1944)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री**, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 तथा 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री**, जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला रीवा, सतना एवं शहडोल का वर्ष 2019-2020 तथा जिला अनूपपुर एवं सतना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) **डॉ.अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री**, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022, एवं

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 62 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य,** भोपाल के वार्ड क्रमांक 26 में विद्युत बिलों की अवैध वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य,** सतना जिले के बेला में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा अनियमित खुदाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर के बरगी को पूर्णकालिक तहसील का दर्जा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य,** रीवा स्थित संजय गांधी मेडिकल कालेज में चार मरीजों की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 197-गंधवानी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, **श्री उमंग सिंघार** को विधान सभा के दिसम्बर, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का आवेदनों से संबंधित चतुर्थ, उन्नीसवां एवं बीसवां प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित बाईसवां एवं तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र. 31 में तोड़े गये सामुदायिक भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री घनश्याम सिंह, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम जसवंतपुरा से ग्राम बिलासपुर तक सड़क मार्ग स्वीकृत करने,

(3) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर शहर के रानीपुरा वार्ड क्र. 57 में नाला निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने,

(4) **श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य,** रीवा जिले के लाल गांव में सी.एम. राईज विद्यालय खोले जाने,

(5) **श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य,** सीधी जिले के रामपुर नैकिन अंतर्गत जनहित के निर्माण कार्यों हेतु राशि प्रदाय कराये जाने,

(6) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत ग्राम घाना स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने,

(7) **श्री आरिफ अकील, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र. 07 से 18 एवं 21 में विद्युत पोलों पर लाईटें लगाये जाने,

(8) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के ग्राम शरीफपुर में बारहमासी सड़क निर्माण कराये जाने तथा

(9) **श्री रामपाल सिंह, सदस्य,** रायसेन जिले के ग्राम ककरूआ स्थित ककरूआ पुल के पास के पुराने नाले पर बैराज निर्माण कराये जाने,

के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

8. वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2022.